रजिस्ट्री सं० डी०--(डी)--73

REGISTERED NO. D-(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 1980 (श्रावण 25, 1902)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 1980 (SRAVANA 25, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	483
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1025
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाए .	905
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित है) .	1833*1875
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2831
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	291 *
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	9059
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस .	433
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाए	—
भाग III—खण्ड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामल है . .	2601
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	131

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—191 GI/80

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1. Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	483
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1025
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	905
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	9059
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	433
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2601
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	131

*Folio not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1980

सं० 58-प्रेज/80—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जयकरण,
कांस्टेबल सं० 689,
जिला जोधपुर,
राजस्थान ।
श्री प्रताप चन्द,
कांस्टेबल सं० 898,
जिला जोधपुर,
राजस्थान ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

13 अगस्त, 1978 को श्री जयकरण और श्री प्रताप चन्द कांस्टेबलों ने जो स्टेडियम सिनेमा, जोधपुर के पास गश्ती ड्यूटी पर थे, रामसिंह नामक एक व्यक्ति को देखा जिसके विरुद्ध सहायक जिलाधीश नागपुर द्वारा गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किये हुए थे । अपराधी पर गिरफ्तारी के वारन्ट तामील करने के लिये दोनों कांस्टेबल उसके निकट पहुंचे परन्तु रामसिंह ने अचानक चाकू निकालने का प्रयत्न किया । तब दोनों कांस्टेबलों ने अपराधी को थाने में ले जाने के लिए पकड़ लिया । अपराधी ने चाकू निकाला और श्री प्रताप चन्द की छाती की बाहिनी ओर चाकू से वार किया । घाव से खून तेजी से बहने लगा परन्तु श्री प्रताप चन्द ने अपराधी को बचकर भागने नहीं दिया । अपराधी ने श्री जयकरण पर भी चाकू का वार किया । दोनों कांस्टेबलों को गम्भीर घाव लगे और उनमें से खून तेजी से बहने लगा परन्तु अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और गम्भीर चोटों की परवाह न करते हुए उन्होंने अपराधी को पुलिस की कुमुक आने तक पकड़े रखा ।

श्री जयकरण और श्री प्रताप चन्द ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 अगस्त, 1978 से दिया जाएगा ।

सं० 59-प्रेज/80—राष्ट्रपति गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री महेन्द्रसिंह नानभा जाड़ेजा,
ब० सं० 1865, निशस्त्र पुलिस कांस्टेबल,
मोरवी शहर थाना,
राजकोट ग्रामीण जिला,
गुजरात ।

श्री अनोपसिंह वरसुभा रायजादा,
ब० सं० 2057, निशस्त्र पुलिस कांस्टेबल,
मोरवी शहर थाना,
राजकोट ग्रामीण जिला,
गुजरात ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

11 अगस्त, 1979 को माछू नदी के आबाद क्षेत्र में असाधारण भारी वर्षा होने और माछू 11 बांध के टूट जाने के कारण मोरवी शहर में बहुत बड़ी तबाही आ गई । उसके परिणामस्वरूप बाढ़ का पानी मोरवी शहर में भर गया । शहर में बड़ी संख्या में मकान गिर गये, पशु बह गये और हजारों व्यक्ति मर गये । उस समय श्री महेन्द्रसिंह नानभा जाड़ेजा एवं श्री अनोपसिंह वरसुभा रायजादा मोरवी शहर के थाने में उपस्थित थे । बाढ़ का पानी बढ़ते हुए देखकर उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के परिवारों के लोगों को जिनके बाढ़ में बह जाने का खतरा था, जान बचाने के लिये भरसक प्रयत्न किये क्योंकि कुछ ही मिनटों में छतों तक पानी चढ़ आया था । खतरे को देखकर उन्होंने उन लोगों को मकान की छत पर ले जाने का निर्णय किया । परन्तु उनको छत पर ले जाने के लिये कोई सीढ़ी नहीं मिली । श्री रायजादा ने छत की टाइलों पर अपने सिर से धक्का मारा और छत में सुराख कर दिया । तब श्री रायजादा ने श्री जाड़ेजा की सहायता से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए इन परिवारों को छत पर पहुंचाया । इसके अतिरिक्त जयन्तीलाल मगनलाल नामक एक हैड कांस्टेबल और उसकी श्रीमती पत्नी को बाढ़ के पानी की तेज धारा में बहते देखकर श्री जाड़ेजा भारी व्यक्तिगत खतरे का सामना करते हुए बाढ़ की तेज धारा के विपरीत तैरते हुए गये और श्री मगन लाल की पत्नी को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले आये ।

इस कार्रवाई में श्री महेन्द्रसिंह नानभा जाड़ेजा और श्री अनोपसिंह वरसुभा रायजादा ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 अगस्त, 1979 से दिया जायेगा ।

सं० 60-प्रेज/80—राष्ट्रपति पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री भारतसिंह उमेदसिंह झाला,
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल,
मोरवी शहर थाना,
राजकोट ग्रामीण क्षेत्र,
गुजरात ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11 अगस्त, 1979 को माछू 11 बांध के टूट जाने के कारण मोरवी शहर में बहुत भारी बाढ़ आई । बाढ़ का पानी शहर में भर गया और शहर के लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें इससे पहले ही बाढ़ के पानी का स्तर तेजी से बहुत ऊंचा उठ गया । बाढ़ के समय श्री भारतसिंह

उमेदसिंह भाला मोरवी में ड्यूटी पर थे। वह तुरन्त वसन्त प्लाट में गली सं० 3 में गये और वहां के निवासियों को बढ़ते हुए पानी के खतरे के बारे में सचेत किया। जब वे ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस गली का एक वर्जो श्री दुलभंजी वीरजी का भाई और उसके परिवार के सदस्य बाढ़ के कारण अपने मकान में फंस गये। चूंकि वहां पर कोई सीढ़ी नहीं मिल सकी, अतः श्री भाला श्री दुलभंजी के मकान की दीवार के साथ खड़े हो गये और श्री दुलभं जी के भाई और उसके परिवार के सदस्यों को मकान की प्रथम मंजिल पर चढ़ने के लिये अपना कन्धा लगा दिया। वे एक अन्धी बुढ़िया बाई हरभाई और तीन अन्य को अपने जीवन के लिए खतरे के बावजूद भी उस इलाके में खड़ी हुई बस तक ले गये। उन्होंने एक बूढ़ी और अशक्त महिला को भी डूबने से बचाया। उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करके लगभग 20 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर चढ़ाया और बाढ़ के चढ़ते हुए पानी में बह जाने से अनेक व्यक्तियों की रक्षा की।

इस कार्रवाई में श्री भारतसिंह उमेदसिंह भाला ने उत्कृष्ट वीरता एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 अगस्त, 1979 से दिया जाएगा।

सं० 61-प्रेस/80—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री रण बहादुर सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
फतेहगढ़,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

14 जून, 1979 को फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री रण बहादुर सिंह को सूचना मिली कि जिले का एक कुख्यात डाकू सुलतान जिस पर 5,000/- रुपए का पुरस्कार घोषित था, 3-4 दिन पहले अपने गांव आया था और बिना किसी उत्तेजना के उसने अपने चाचा को मार डाला और उसके शव को भी जला दिया। यह भी मालूम हुआ था कि डाकू अब भी गांव में उपस्थित है। सूचना को गुप्त रखते हुए श्री रण बहादुर सिंह ने उपलब्ध पुलिस दल को एकत्र किया और डाकू के छिपने के स्थान की ओर कूच किया। रात के अंधेरे में संकिया के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पर पहुंच कर श्री सिंह ने दल को 5 टुकड़ियों में विभाजित किया। इन्हें से चारों को पूर्वी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में तैनात किया और श्री रण बहादुर सिंह ने स्वयं डाकू के संभावित छिपने के स्थान की तलाश करने के लिए योजना बनाई। श्री रण बहादुर सिंह ने अपने दल को पुनः विभाजित किया। कार्रवाई प्रातः 4.30 बजे शुरू करने का निर्णय किया गया।

निर्धारित समय पर श्री सिंह, ताले सिंह के नलकूप की ओर बढ़े जिसको सुलतान के छिपने का अधिक संभावित स्थान समझा गया था। जब श्री सिंह नलकूप से लगभग 30-40 कदम की दूरी पर थे, तो एक हथगोला उन पर फैंका गया। सौभाग्यवश हथगोला नहीं फटा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री सिंह ने तुरन्त हथ गोला उठाया और कुछ दूरी पर फैंका उसके तुरन्त बाद एक सशस्त्र व्यक्ति नलकूप की छत से कूदा। पुलिस दल ने उसका पीछा किया। श्री सिंह ने आततायियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी क्योंकि वे पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से घेर लिए गए थे। फिर भी डाकू सुलतान ने श्री सिंह और उनके दल को भद्दी गालियां दीं और उनको मार डालने की धमकी दी। उसने पुलिस दल पर गोली भी चलाई। श्री सिंह कई बार बचे। श्री सिंह ने जवाब में गोली चलाई। यद्यपि सुलतान सुरक्षित स्थिति में था क्योंकि वह खेत की ऊंची बाड़ के पीछे छिपा हुआ था जबकि श्री सिंह खुले स्थान में थे, कुछ समय तक गोली चलती रही और उसके बाद दूसरी तरफ शांति हो गई। बाद में उस क्षेत्र की खोज करने पर सुलतान का शव बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री रण बहादुर सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, पहल शक्ति एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जून, 1979 से दिया जाएगा।

सु० नारायणन
राष्ट्रपति के उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 जुलाई 1980

सं० 22-17/77-एल० डी०-1—भारतीय डेरी निगम की संगम की नियमावली के नियम 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, इस विभाग के अपर सचिव (ए० डी० एफ०) श्री एस० पी० मुखर्जी को तत्काल से भारतीय डेरी निगम के निदेशकों के मण्डल में निदेशक के रूप में नामजद करते हैं।

के० उप्पिलियाप्पन
निदेशक (डेरी विभाग)

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 1980

सं० एफ० 18-4/80—यि०षि० 5—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के संस्था ज्ञापन पत्र और नियमावली के नियम 3,6 और 10 के अन्तर्गत, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री एस० एम० एच० बर्नी को तीन वर्ष की अवधि के लिए 28-7-1980 से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में पुनः नामित किया जाता है।

सोमनाथ पंडित, संयुक्त सचिव

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1980

संकल्प

सं० एफ०-22-36/80-एन० आई०—समाज कल्याण मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के क्षेत्र में विधि निर्माण पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित करने का निर्णय किया है।

2. कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) इस बात की जांच करना कि वैधानिक कार्यवाही से विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण को कहां तक बढ़ावा दिया जा सकता है।

(2) यदि ऐसा विधि-निर्माण अत्यावश्यक समझा जाए तो ऐसे विधि-निर्माण के क्षेत्र, उद्देश्य और साधारण योजना का ब्यौरा तैयार किया जाए।

कार्यकारी दल इस क्षेत्र में विभिन्न अन्य देशों, विशेषकर यूनाइटिड स्टेट्स आफ अमेरिका द्वारा अपनाए जा रहे विधान को ध्यान में रखेगा।

इस कार्यकारी दल की संरचना नीचे दिए अनुसार होगी :—

1. निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान
राजपुर रोड, देहरादून— अध्यक्ष
श्री लाल अडवानी संयोजक

2. नेशनल फेडरेशन फार दि ब्लाइंड का प्रतिनिधि—श्री एस० के० रूंगटा	सदस्य
3. नेशनल एसोसिएशन आफ दि ब्लाइंड के प्रतिनिधि—कैप्टन एच० जे० एम० देसाई	सदस्य
4. नेशनल सोसाइटी फार इक्वल अपार्चुनिटीज फार दि हैन्डीकैप्ड के प्रतिनिधि—श्रीमती नामा बी० भट्ट	सदस्य
5. फेडरेशन फार दि वेलफेयर आफ दि मेंटली रिटार्डिड के प्रतिनिधि—श्रीमती बसन्ती ए० पाई	सदस्य
6. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के प्रतिनिधि—डा० आई० डी० बजाज	सदस्य
7 रोजगार और प्रशिक्षण के महा निदेशक के प्रतिनिधि—श्री के० कुमार, निदेशक, रोजगार कार्यालय, श्रम मंत्रालय	सदस्य
8. विधि मंत्रालय की प्रतिनिधि—श्रीमती बी० एस० रमा देवी—संयुक्त सचिव	सदस्य
9 श्री जी० बी० पाई, एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय	सदस्य
10. आल इंडिया फेडरेशन आफ डेफ के प्रतिनिधि	सदस्य
11. राष्ट्रीय अस्थि बाधितार्थ संस्थान, कलकत्ता के प्रतिनिधि—डा० अशोक सेन गुप्ता	सदस्य

1. कार्यकारी दल का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

5 कार्यकारी दल सलाह के लिये सदस्यों को सहयोजित कर सकता है अथवा कार्यकारी दल की बैठकों के लिये विशेष आमंत्रितों को बुला सकता है।

6. कार्यकारी दल की सदस्यता के लिये कोई विशेष पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा। सरकारी सदस्य अलबत्ता उनके संबंधित विभागों में उन पर लागू नियमों, के अनुसार इन कार्य के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता इत्यादि पाने के हकदार होंगे। गैर-सरकारी सदस्य (सहयोजित सदस्य अथवा कार्यकारी दल की बैठकों के लिए विशेष आमंत्रित शामिल) बैठकों में भाग लेने हेतु की गई यात्राओं के लिए वही यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे जो भारत सरकार के प्रथम ग्रेड अधिकारियों को स्वीकार्य है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

जे० सी० जेटली,
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1980

संकल्प

हिन्दी/समिति/80/41/4—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 14-5-1980 के संकल्प सं० हिन्दी/समिति/80/41/4 के क्रम में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य को रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिन्दी पुस्तक चयन समिति का सदस्य नामित किया जाता है :—

श्री काशीनाथ, उपाध्याय, "बेधड़क, बनारसी"
सी-4/31, सराय गोवर्धन,
वाराणसी।

इस समिति में श्री काशीनाथ उपाध्याय "बेधड़क, बनारसी" की सदस्यता के सम्बन्ध में वे सब शर्तें लागू होंगी, जो 14-5-1980 के संकल्प में उल्लिखित हैं।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० बालचन्द्रन सचिव, रेलवे बोर्ड,
एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 6th August 1980

No. 58-Pres./80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Names and ranks of the officers :

Shri Jaikaran,
Constable No. 689,
District Jodhpur,
Rajasthan.

Shri Partap Chand,
Constable No. 898,
District Jodhpur,
Rajasthan.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 13th August, 1978 at 8.30 p.m. Shri Jaikaran and Shri Partap Chand, Constables, while on patrol duty near Stadium Cinema, Jodhpur, spotted one Ram Singh against whom warrant of arrest had been issued by the Assistant Collector, Nagaur. In order to serve the warrant of arrest on the criminal, both the Constables approached him but Ram Singh tried to escape. Both the constables then apprehended the criminal for taking him to the Police Station. The criminal took out a knife and gave a blow to Shri Partap Chand on the right side of his chest. The stabbed wound started bleeding profusely but Shri Partap Chand did not allow the criminal to escape. The criminal gave a knife blow to Shri Jaikaran also. Both the constables recieved grevious injuries and were bleeding profusely, but in disregard of their personal safety and grevious injuries received by them, they did not allow the criminal to escape till the arrival of the police reinforcement.

In this action Shri Jaikaran and Shri Partap Chand exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

These award are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th August, 1978.

No. 59-Pres/80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Gujarat Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Mahendrasing Nanbha Jadeja,
B. No. 1865, Unarmed Police Constable.
Morvi City Police Station,
Rajkot Rural District,
Gujarat.

Shri Anopsinh Varsubha Raizada,
B. No. 2057, Unarmed Police Constable,
Morvi City Police Station,
Rajkot Rural District,
Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 11th August, 1979, a great havoc was caused in Morvi City due to unprecedented heavy rains in the catchment area of Machhu river and the bursting of Machhu II dam. As a result thereof, flood waters entered Morvi City. A large number of houses in the city collapsed, cattles were washed away and thousands of people died. Shri Mahendrasing Nanbha Jadeja and Shri Anopsinh Varsubha Raizada were present in the Morvi City Police Station. On seeing the approaching flood waters they made strenuous efforts to save the lives of the families of the policemen, who were in danger of being swept away by the swirling flood water, which had risen to the roof top within a matter of minutes. Realising the danger they decided to life them to the roof top of the building, but no ladder could be found to take them there. Shri Raizada banged his head against the tiles of the roof and made a hole in the roof. Then Shri Raizada with the help of Shri Jadeja shifted these families to the roof top in disregard of the risk involved to their personal safety. Further, on seeing that a Head Constable named Jayantilal Maganlal and his ailing wife were being swept away by the swift current of the flood water. Shri Jadeja swam against the powerful flood current at great personal risk and brought the wife of Shri Maganlal to a place of safety by lifting her on his shoulders.

In this operation Shri Mahendrasing Nanbha Jadeja and Shri Anopsinh Varsubha Raizada exhibited conspicuous gallantry and displayed a high sense of devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th August, 1979.

No. 60-Pres/80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Gujarat Police:—

Name and rank of the officer

Shri Bharatsing Umedsing Zala,
Armed Police Constable,
Morvi City Police Station,
Rajkot Rural District,
Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 11th August, 1979 when the flood water of the Machhu II dam entered the Morvi City and the evel of the flood water rose swiftly very high without giving any time to the population of the city to move to places of safety, Shri Bharatsing Umedsing Zala who was on duty in Morvi, rushed to street No. 3 in Vasant Plot and alerted the inhabitants about the impending danger. While doing so, he saw that the brother of Shri Durlabhji Viraj, a tailor and the members of his family in that street had been entrapped in their house. As no ladder could be found to move them to the top of the building Shri Zala positioned himself against the wall of Shri Durlabhji's house and lent his own shoulders to the brother of Shri Durlabhji and the members of his family to climb up to the first floor of the building. He also escorted Bai Haibhai, a blind old woman and three others to a stationary bus in the vicinity, at a great personal risk and also saved an old and infirm woman from getting drowned. He lifted as many as 20 members of public to safety in utter disregard of safety to his own life and rescued a number of members of the public from being swept away in the rising flood water.

In this operation Shri Bharatsing Umedsing Zala exhibited conspicuous gallantry and displayed high sense of devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th August, 1979.

No. 61-Pres./80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ran Bahadur Singh,
Superintendent of Police,
Fatehgarh,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th June, 1979, Shri Ran Bahadur Singh, Superintendent of Police, Fatehgarh received information that Sultan a notorious outlaw of the District, who carried a reward of Rs. 5000/-, had visited his village 3-4 days back and had killed his uncle without any provocation and had also burnt his dead body. It was also understood that the dacoit was still present in the village. Without giving much publicity, Shri Ran Bahadur Singh collected the available police force and proceeded to the hide-out of the dacoit. On reaching the PWD Inspection House Sankisha in the dead of night, Shri Singh divided the police force into 5 parties. While 4 of these parties were deployed on the East, West, North and Southern sides, Shri Ran Bahadur Singh planned to search the likely hide-out of the dacoit himself. Shri Ran Bahadur Singh sub-divided his own party. It was decided to start the operation at 4.30 in the morning. At the appointed time Shri Singh proceeded to the tubewell of Tale Singh, which was considered to be the most likely hide-out of Sultan. When Shri Singh was at a distance of about 30-40 paces from the tubewell a hand-grenade was hurled at him. Fortunately, the hand-grenade did not explode. Without caring for his personal safety, Shri Ran Bahadur Singh took the hand-grenade and threw it at a distance. Immediately thereafter one armed-man jumped from the roof of the tubewell. He was given a chase by the police party. Shri Singh also warned the desperadoes to surrender, as they had been completely encircled by the Police. However, the dacoit Sultan Singh called filthy names to Shri Singh and his party and threatened to wipe them out. He also fired at the police party. Shri Singh escaped a number of times. Shri Singh returned the fire. Even though Sultan was in an advantageous position as he was hiding himself behind the raised field boundry while Shri Singh was in the open, the firing went on for sometime and thereafter a lull prevailed on the other side. On search of the area the dead body of Sultan who was killed in the encounter was recovered.

In this encounter Shri Ran Bahadur Singh exhibited conspicuous gallantry initiative and devotion to duty of a very high order.

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th June, 1979.

S. NILAKANTAN,
Dy. Secy to the President.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi-1, the 22nd July 1980

No. 22-17/77-1 D-I.—In exercise of the powers conferred by Article 15(2) of the Articles of Association of Indian Dairy Corporation, the President is pleased to nominate Shri S. P. Mukherji, Additional Secretary (A.D.F.) in this Department as a Director on the Board of Directors of the Indian Dairy Corporation with immediate effect.

K. UPPILIAPPAN, Director (DD)

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, The 23rd July, 1980

No. F. 18-4/80/U-5—Under Rules 3, 6 and 10 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, Shri S.M.H. Burney, Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, is re-nominated as a member of the Indian Council of Social Science Research for a period of three years with effect from 28.7.1980.

S.N.PANDITA
Jt. Secty.

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 25th July 1980

RESOLUTION

No. F. 22-36/80-NI.—The Ministry of Social Welfare has decided to set up a Working Group to consider legislation in the field of the handicapped.

2. The terms of reference of the Working Group will be as follows :—

(i) To examine how far legislative action can promote the economic rehabilitation and social integration of the handicapped persons.

(ii) In case such legislation is considered essential then to work out in detail the scope, objective and the general scheme of such a legislation.

The Working Group shall take into consideration existing legislation in the field already adopted in various other countries, particularly in United States of America.

3. The composition of this Working Group will be as under :—

1. Director, National Institute for the Visually Handicapped, Rajpur Road, Dehradun— Sh. Lal Advani — Chairman / Convenor
2. Representative of National Federation for the Blind— Mr. S. K. Rungta — Member
3. Representative of National Association of the Blind— Capt. H. J. M. Desai — Member
4. Representative of National Society for Equal Opportunities for the Handicapped (NASEOH)— Mrs. Nama V. Bhatt — Member
5. Representative of Federation for the Welfare of the Mentally Retarded (FWMR)— Mrs. Vasanti A. Pai. — Member
6. Representatives of Director, General of Health Services— Dr. I. D. Bajaj, Additional Director General Health Services. — Member
7. Representative of Director General of Employment and Training— Shri K. Kumar, Director Employment Exchanges/ Ministry of Labour — Member
8. Representative of Ministry of Law— Smt. V. S. Rama Devi, Joint Secretary. — Member
9. Representative of All India Federation of Deaf. — Member
10. Representative of National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Calcutta— Dr. Ashoke Sengupta — Member

4. The tenure of Working Group will be for a period of one year.

5. The Working Group may co-opt members for advice or have special invitees for the meetings of the Working Group.

6. No special remuneration will be paid for the membership of the Working Group. The official members will however be entitled to draw TA/DA etc. for the journeys undertaken by them in connection with this assignment in accordance with the rules applicable to them in their respective Departments. The non-official members (including members co-opted, or special invitees of the Working Group) will be entitled to claim TA/DA for their journeys to attend meetings as admissible to first grade officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that this Resolution be published in the Gazette of India.

2. ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of the Union Territories, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

J. C. JETLI, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RALWAY BOARD)

New Delhi, the 15th July 1980

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/80/41/4.—In continuation of Ministry of Railways' (Railway Board) resolution No. Hindi/Samiti/80/41/4 dated 14-5-80 the following non-official member is nominated as Member of the Railway Hindi Book Selection Committee constituted under Ministry of Railways :—

Shri Kashi Nath Upadhaya

'Bedharak Banarsi',
C-4/31, Sarai Goverdhan, Varanasi.

The other conditions concerning Shri Kashi Nath Upadhaya 'Bedharak Banarsi' as member of this Committee will be the same as mentioned in resolution dated 14-5-80.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries and Departments of Govt. of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. BALACHANDRAN, Secy.
Railway Board
&
Ex-officio Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1980